

फॉर्म - II

पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुबइंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नईदिल्लीके समक्ष, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 (1) के तहत पारेषण लाइनों, सबस्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के संबंध में, ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन किया है:-

क्रमांक	लाइन/उप - स्टेशनका नाम (स्थान)	लाइन की लंबाई / क्षमता	अनुमानित समापन लागत या स्तरीकृतपारेषणशुल्क (यदि आवेदक का चयन प्रति स्पर्धी बोली के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है)	कमीशनिंग शेड्यूल	टिप्पणियाँ
1.	खावडा पुलिंग स्टेशन-2		CTUIL OM दिनांक 16.02.2024 के अनुसार परियोजना की अनुमानित तपूर्णता लागत 12.26 करोड़ है।	28.03.2025	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत लागू किया जाना है

2. आयोग के समक्ष दायरपूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.powergrid.in/en/kps2-transmission-limited> पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय "ईडी (टीबीसीबी), पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉटनंबर2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001" व श्री राजेश वी, परियोजना प्रभारी, पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के साथ भी किया जासकता है या आयोग के कार्यालयमें आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जासकता है।



3. आपत्तियां या सुझाव, यदिकोईहों, सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोकभवन, जनपथ, नईदिल्ली - 110001 के समक्ष आपत्तियों / सुझावों की एक प्रति आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, पावरग्रिडकी वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दाखिल करें।

श्रीराजेश

श्रीराजेश वी, परियोजनाप्रभारी,
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

जगह: भुज

तारीख: 03.04.2024

